

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा)
अभियंत्रण छात्रावास सं0-2, धुर्वा, राँची।

परि0वि0(स0सू0)-30/2018/271

राँची, दिनांक-10.07.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

1. **कार्य का नाम :-** सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम
2. **पात्रता/अहर्ता :-** वैसी संस्था/एन0जी0ओ0/को-ऑपरेटिव सोसायटी/फर्म इत्यादि जो राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के अधीन निबंधित हो :
 - (क) आवेदक के एन0जी0ओ0 होने की स्थिति में उसे नीति आयोग के DARPAN पोर्टल में निबंधित होना अनिवार्य होगा एवं प्रस्ताव के साथ आवेदक को Unique ID भी उपलब्ध कराना होगा।
 - (ख) आवेदक को कार्यक्रम के संचालन हेतु बिना किसी अग्रधन राशि के वित्तीय रूप से सक्षम होना अनिवार्य होगा।
3. **वित्तीय सहायता :-**
 - (क) सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम हेतु आवेदक को वित्तीय सहायता राशि के रूप में अधिकतम 05.00 लाख रुपये अनुमान्य होगा एवं एक संस्था अधिकतम 12 विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम ही कर पायेगी।
 - (ख) राशि का भुगतान कार्यक्रम के सफल आयोजन के उपरान्त संस्था द्वारा प्राप्त कराये गये व्यय विपत्र के अनुरूप किया जाएगा।
 - (ग) वित्तीय सहायता राशि का निर्धारण/भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-RT-25029/02/2016-RS में निहित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा।
4. **कार्यक्रम का प्रकार :-**
 - (क) सड़क सुरक्षा हेतु नुक्कड़ नाटक का मंचन।
 - (ख) स्कूल/कॉलेजों में क्वीज/निबंध/पेंटिंग प्रतियोगिता आदि का आयोजन।
 - (ग) सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित पोस्टर/बैनर, वीडियो फिल्म आदि का निर्माण एवं प्रसारण।
 - (घ) सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 'हेलमेट पहनने', 'सीटबेल्ट का प्रयोग', 'नशा कर वाहन न चलाना', 'वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग नहीं करना', 'ट्रैफिक नियमों का पालन' आदि के संबंध में सेमिनार एवं शिविर का आयोजन कर जागरूक करना।
 - (ङ) अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम।
5. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-** 31 अगस्त 2018
6. **कार्यक्रम पूर्ण करने की अंतिम तिथि :-** 31 दिसम्बर 2019
7. आवेदन प्रपत्र एवं निदेश विभागीय वेबसाईट www.jhtransport.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. **आवेदन प्राप्ति एवं प्राधिकार :-** पूर्ण आवेदन प्रपत्र संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा) कार्यालय, अभियंत्रण छात्रावास सं0-2, धुर्वा, राँची कार्यालय में कार्यालय अवधि में जमा किया जा सकता है।

ह0/-
संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)
झारखण्ड, राँची